

Mains Matrix

Table of Content

1. सूचना के अधिकार का बदलाव: 'सूचना से इंकार करने का अधिकार'
2. संपत्ति अधिकार, आदिवासी और लैंगिक असमानता अंतर
3. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को धोखाधड़ी वाली सामग्री को सक्रिय रूप से हटाना चाहिए

1. सूचना के अधिकार का बदलाव: 'सूचना से इंकार करने का अधिकार'

यह लेख सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, विशेष रूप से धारा 80(X), में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। यह तर्क देता है कि इन बदलावों ने "सूचना का अधिकार" को "सूचना से इंकार करने का अधिकार" में बदल दिया है, जिससे पारदर्शिता बुरी तरह कमजोर होती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और लोकतंत्र खतरे में पड़ता है।

1. मूल RTI अधिनियम का केंद्रीय सिद्धांत

- **आधार:** लोकतंत्र में सरकार के पास जो भी सूचना है, वह मूलतः नागरिकों की है, क्योंकि वही वास्तविक संप्रभु हैं।
- **सरकार की भूमिका:** सरकार केवल नागरिकों की ओर से उस सूचना की अभिरक्षक है।
- **डिफॉल्ट नियम:** बुनियादी सिद्धांत यह है कि सारी सूचना नागरिकों के साथ साझा की जानी चाहिए।

2. "व्यक्तिगत सूचना" पर मूल धारा 80(X)

- **उद्देश्य:** सूचना के अधिकार और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच संतुलन बनाने का प्रावधान।
- **इंकार की शर्तें:** व्यक्तिगत सूचना से इंकार किया जा सकता था यदि:
 - उसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध न हो।
 - वह "गोपनीयता का अनुचित उल्लंघन" हो।
- **अपवाद:** यदि व्यापक सार्वजनिक हित हो तो सूचना दी जा सकती थी।
- **मुख्य प्रावधान ("ऐड टेस्ट"):**

"वह सूचना जो संसद या राज्य विधानमंडल को नकारा नहीं जा सकता, उसे किसी व्यक्ति को भी नकारा नहीं जाएगा।"

 - **अर्थ:** एक सामान्य नागरिक को वही अधिकार था जो संसद सदस्यों को।

3. DPDP अधिनियम द्वारा किया गया कठोर संशोधन

- **बदलाव:** DPDP अधिनियम ने मूल धारा 80(X) को घटाकर केवल छह शब्दों में बदल दिया।
 - **परिणाम:** यह सरलीकरण अधिकांश सूचना मांगों को नकारना आसान बनाता है।
-

4. "व्यक्तिगत सूचना" की अस्पष्टता

- **मुख्य समस्या:** संशोधित RTI अधिनियम में "व्यक्तिगत सूचना" की स्पष्ट परिभाषा नहीं है।
 - **दो विरोधी व्याख्याएँ:**
 1. **प्राकृतिक व्यक्ति की व्याख्या:** "व्यक्ति" केवल जीवित इंसान को संदर्भित करता है।
 2. **DPDP परिभाषा:** "व्यक्ति" में व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, कंपनियाँ, संगठन और राज्य स्वयं शामिल हैं।
 - **परिणाम:** यदि DPDP परिभाषा अपनाई जाए तो लगभग हर सरकारी डेटा "व्यक्तिगत" हो जाएगा।
 - **ओवरराइड प्रावधान:** DPDP अधिनियम में कहा गया है कि यदि किसी अन्य कानून से टकराव हो तो वही प्रभावी होगा, जिसमें RTI भी शामिल है।
-

5. लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) पर डर का प्रभाव

- **दंड का भय:** DPDP अधिनियम डेटा उल्लंघन पर ₹250 करोड़ तक का जुर्माना लगाता है।
 - **नतीजा:** PIOs डर के कारण सूचना साझा करने के बजाय इनकार करना सुरक्षित समझेंगे।
-

6. निहितार्थ: भ्रष्टाचार को बढ़ावा

- **निगरानी का नुकसान:** नागरिक भ्रष्टाचार के सबसे प्रभावी निगरानीकर्ता होते हैं। उन्हें सूचना से वंचित करना इस तंत्र को कमजोर करेगा।
 - **महत्वपूर्ण सूचनाओं से वंचित:**
 - सुधारित मार्कशीट
 - पेंशन लाभार्थियों की सूची (भूतिया योजनाओं को रोकने हेतु)
 - हस्ताक्षरित आदेश
ये सभी "व्यक्तिगत सूचना" कहकर रोके जा सकते हैं।
 - **भ्रष्टाचार को खुली छूट:** "भूतिया कर्मचारियों" जैसी जानकारी छिप जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार और फलेगा-फूलेगा।
 - **"सार्वजनिक हित" का प्रावधान अप्रभावी:** RTI की धारा 8(2) में यह है, लेकिन इसका उपयोग बेहद दुर्लभ और कठिन है।
-

7. प्रतिक्रिया का अभाव और कार्रवाई की पुकार

- **चुप्पी:** इस संशोधन पर पहले की तरह कोई बड़ा जन और मीडिया विरोध नहीं हुआ।
- **कारण:**
 - बदलाव "डेटा संरक्षण" के नाम पर हुआ, इसलिए खतरा अमूर्त लगता है।
 - लोग केवल अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं।
- **दाँव पर क्या है:** यह हमारे मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र पर सीधा हमला है।

8. सुझाए गए कदम

1. **मीडिया और नागरिक सहभागिता:** पूरे देश में इस पर चर्चा को बढ़ावा देना।
2. **राजनीतिक जवाबदेही:** राजनीतिक दलों से मांग कि वे अपने घोषणापत्र में इन संशोधनों को पलटने का वादा करें।
3. **जनमत बनाना:** मीडिया के सहयोग से मज़बूत जनमत तैयार करना।
4. **गंभीरता को पहचानना:** इसे राष्ट्रीय बहसों जितना ही तात्कालिक मानना।

9. निष्कर्ष और चेतावनी

- **परिणाम:** यदि नागरिक चुप रहे तो उनकी स्वतंत्रता और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।
- **आशा:** सामूहिक प्रयास से इन बदलावों को पलटा जा सकता है।
- **भविष्य:** पारदर्शिता और जवाबदेही का भविष्य इस पर निर्भर है कि नागरिक और मीडिया RTI अधिनियम की रक्षा के लिए कितना दबाव बना पाते हैं।

जीएस पेपर लिंकेज:

1. जीएस-II: शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय
(यह इसके अनुप्रयोग के लिए सबसे प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण क्षेत्र है)

• **विषय:** शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता और जवाबदेही

- **उपयोग मामला:** आधुनिक शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए यह एक आदर्श उदाहरण है।
- **तर्क:** यह संशोधन उदाहरण देता है कि कैसे एक सुविचारित कानून (डेटा संरक्षण) का उपयोग अच्छे शासन की आधारशिला (आरटीआई अधिनियम) को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है। यह सरकारी जानकारी के लिए "डिफॉल्ट रूप से खुलासा" मॉडल से "डिफॉल्ट रूप से इनकार" मॉडल में बदलाव को दर्शाता है।

• **विषय:** सूचना का अधिकार

- **उपयोग मामला:** आरटीआई अधिनियम के विकास और हालिया नुकसान का गंभीरता से परीक्षण करना।
- **तर्क:** मूल आरटीआई अधिनियम, अपने सूक्ष्म धारा 8(1)(जे) के साथ, "बड़े सार्वजनिक हित" परीक्षण के माध्यम से गोपनीयता और पारदर्शिता को संतुलित करता था। डीपीडीपी संशोधन इसे एक सामान्य इनकार में बदल देता है, जो प्रभावी रूप से अधिनियम की भावना को समाप्त कर देता है।
- **विषय: लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका**
 - **उपयोग मामला:** कानूनों को लागू करने में सिविल सेवकों के सामने आने वाली बाधाओं और दबावों पर चर्चा करना।
 - **तर्क:** डीपीडीपी अधिनियम में गंभीर दंड (₹250 करोड़ तक) सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (PIOs) के लिए एक प्रतिकूल प्रोत्साहन पैदा करते हैं। वे व्यक्तिगत और संस्थागत जोखिम से बचने के लिए सूचना अनुरोधों को अस्वीकार करने लगते हैं, जिससे पारदर्शी होने के अपने कर्तव्य में वे विफल हो जाते हैं।
- **विषय: शक्तियों का पृथक्करण और विधायिका की भूमिका**
 - **उपयोग मामला:** कानूनों में संशोधन की संसद की शक्ति और विधायी जांच की आवश्यकता पर चर्चा करना।
 - **तर्क:** संशोधन पर्याप्त संसदीय बहस या पारदर्शिता पर इसके प्रभाव पर सार्वजनिक परामर्श के बिना पारित किया गया, जो कानून निर्माण में एक प्रक्रियात्मक दोष को उजागर करता है।

2. जीएस-IV: नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति

- **विषय: जवाबदेही और नैतिक शासन; भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ**
 - **उपयोग मामला:** भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से सीधे पारदर्शिता को जोड़ना।
 - **तर्क:** आरटीआई अधिनियम भ्रष्टाचार ("भूत" लाभार्थी, निविदा में हेराफेरी, अनधिकृत नियुक्तियाँ) को उजागर करने के लिए नागरिकों के हाथ में सबसे शक्तिशाली हथियार है। इस जानकारी तक पहुंच को अवरुद्ध करके, यह संशोधन प्रभावी रूप से "भ्रष्टाचार को सुविधाजनक बनाता है और भ्रष्ट लोगों की रक्षा करता है।" यह सार्वजनिक जांच की सबसे प्रभावी परत को हटा देता है।

2. संपत्ति अधिकार, आदिवासी और लैंगिक असमानता का अंतर

1. मुख्य मुद्दा

यह लेख भारत में आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित किए जाने पर चर्चा करता है (उत्तर-पूर्व की कुछ मातृसत्तात्मक जनजातियों को छोड़कर)। इसे **गंभीर लैंगिक भेदभाव और समानता के मौलिक अधिकार के उल्लंघन** के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रमुख कानूनी मामला: राम चव्हाण व अन्य बनाम सुष्मन व अन्य (SC, 17 जुलाई 2025)

- **पक्षकार:** धैया (एक अनुसूचित जनजाति महिला) की बेटियाँ बनाम उनके चाचा।
- **दावा:** अपीलकर्ताओं ने अपने नाना की संपत्ति में समान हिस्सेदारी की मांग की।

- **निचली अदालत का निर्णय:** छत्तीसगढ़ की ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत ने याचिका खारिज की, यह कहते हुए कि गोंड जनजाति में महिलाओं को संपत्ति उत्तराधिकार का कोई प्रचलन नहीं है।
- **हाई कोर्ट का निर्णय:** छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बेटियों को समान हिस्सेदारी दी। उसने कहा कि "रीति-रिवाज" के नाम पर महिलाओं को संपत्ति से वंचित करना लैंगिक भेदभाव को बढ़ाता है, जिसे कानून समाप्त करना चाहिए।
- **सुप्रीम कोर्ट का रुख:** सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को पैतृक संपत्ति से वंचित करना **समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन** माना।

3. ऐतिहासिक कानूनी मिसाल: मधु किश्वर बनाम बिहार राज्य (1996)

- **मुद्दा:** एक याचिका में उन प्रथागत कानूनों को चुनौती दी गई थी, जो आदिवासी महिलाओं को भूमि या संपत्ति उत्तराधिकार से बाहर रखते थे।
- **परिणाम:** सुप्रीम कोर्ट के बहुमत ने इन प्रावधानों को निरस्त करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इससे मौजूदा कानूनी ढाँचे में अराजकता फैल सकती है।

4. वर्तमान कानूनी और सामाजिक परिप्रेक्ष्य

- **प्रचलित कानून:** अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में अपने प्रथागत कानूनों से शासित होते हैं।
- **सांख्यिकीय प्रमाण:** कृषि जनगणना (2015-16) की अखिल भारतीय रिपोर्ट बताती है कि केवल **16.7% ST महिलाएँ** भूमि की मालिक हैं, जबकि **83.3% ST पुरुषों** के पास भूमि है।
- **अधिकार न देने के सामान्य तर्क:**
 1. **सामुदायिक स्वामित्व:** यह विश्वास कि भूमि सामुदायिक संपत्ति है, व्यक्तिगत नहीं।
 2. **भूमि के हरण का भय:** आशंका कि आदिवासी महिलाएँ यदि गैर-आदिवासी पुरुषों से विवाह करेंगी तो भूमि गैर-आदिवासियों के हाथों में चली जाएगी।
- **विपरीत तर्क:** लेख का कहना है कि भूमि बिक्री/अधिग्रहण से मिलने वाला पैसा शायद ही ग्राम सभा को जाता है और भूमि का स्वरूप (जैसे वन भूमि) अक्सर हस्तांतरण के बाद भी "आदिवासी" ही रहता है।

5. प्रथागत कानून के लिए कानूनी कसौटी

किसी प्रथा को **कानूनी वैधता** तभी मिलती है जब वह इन कसौटियों पर खरी उतरे:

- प्राचीनता
- निश्चितता
- निरंतरता

- युक्तिसंगतता
- सार्वजनिक नीति के अनुरूप होना

उदाहरण मामला: प्रभा मिंज बनाम मार्था एक्का (झारखंड HC, 2022)

- झारखंड हाई कोर्ट ने उराँव जनजाति की महिलाओं के संपत्ति अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि प्रतिवादी यह साबित नहीं कर पाए कि बेटियों को लगातार संपत्ति उत्तराधिकार से वंचित रखने की कोई प्रथा है।

6. प्रस्तावित समाधान: एक अलग आदिवासी उत्तराधिकार अधिनियम

- **कानूनी अंतर:** हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(2) अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखती है।
- **सिफारिश:** एक अलग आदिवासी उत्तराधिकार अधिनियम बनाया जाए ताकि आदिवासी महिलाओं के संपत्ति उत्तराधिकार के अधिकार सुरक्षित हों।
- **समर्थन मिसाल:** सुप्रीम कोर्ट का सकारात्मक रुख कमला नेट बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (2022) मामले में, जिसने लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति दी।
- **तरीका:** आदिवासी कानूनों का संहिताकरण किया जाए, जैसे हिंदू और ईसाइयों के लिए संहिताबद्ध कानून मौजूद हैं।

GS पेपर संबंध

1. GS-II: शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय

यह इसका सबसे प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र है।

- **विषय:** भारतीय संविधान—ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना।
 - **उपयोग:** मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 – भेदभाव का निषेध) और प्रथागत आदिवासी कानूनों को दिए गए संरक्षण (अनुसूची V और अनुच्छेद 371) के बीच संघर्ष पर चर्चा करना।
 - **तर्क:** यह लेख संवैधानिक समानता की गारंटी और आदिवासी प्रथाओं के संरक्षण के बीच तनाव को उजागर करता है। तर्क दिया जा सकता है कि प्रथाओं को संविधान की मूल संरचना (जिसमें समानता शामिल है) के अनुरूप होना चाहिए।
- **विषय:** इन कमजोर वर्गों के संरक्षण और उत्थान के लिए बनाए गए तंत्र, कानून, संस्थाएँ और निकाय।
 - **उपयोग:** आदिवासी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में मौजूदा कानूनी ढाँचों की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन।

- **तर्क:** यह लेख एक कानूनी रिक्तता दर्शाता है—हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदिवासियों को बाहर रखता है, और उनके लिए कोई समान संहिता नहीं है। यह संस्थाओं और कानूनों की विफलता को दिखाता है कि वे कमजोर वर्ग (आदिवासी महिलाएँ) की रक्षा नहीं कर पाए। प्रस्तावित “आदिवासी उत्तराधिकार अधिनियम” एक संस्थागत सुधार का सुझाव है।
- **विषय:** कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और उन योजनाओं का प्रदर्शन।
 - **उपयोग:** यह तर्क करने के लिए कि आदिवासी महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएँ अधूरी हैं जब तक कि उनके मौलिक संपत्ति अधिकार सुनिश्चित न किए जाएँ।
 - **तर्क:** भूमि शीर्षक के बिना, आदिवासी महिलाएँ किसानों के लिए बनी ऋण, सब्सिडी या लाभ नहीं ले सकतीं, जिससे कई कल्याणकारी योजनाएँ उनके लिए अप्रभावी हो जाती हैं।

2. GS-I: भारतीय समाज

- **विषय:** भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ, भारत की विविधता।
 - **उपयोग:** आदिवासी प्रथाओं की विविधता और लैंगिक न्याय व सांस्कृतिक परंपराओं के सम्मान के बीच संतुलन की चुनौतियों पर चर्चा।
 - **तर्क:** यह लेख ठोस उदाहरण देता है कि कैसे सामाजिक विविधता (प्रथागत कानून) कभी-कभी लैंगिक समानता जैसे सार्वभौमिक मूल्यों से टकरा सकती है।
- **विषय:** महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या और उससे जुड़े मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, नगरीकरण, उनकी समस्याएँ और समाधान।
 - **उपयोग:** लिंग, आदिवासी पहचान और आर्थिक विकास के अंतःसंबंध का विश्लेषण।
 - **तर्क:** संपत्ति अधिकारों से वंचित करना केवल सामाजिक अन्याय नहीं है, बल्कि आदिवासी महिलाओं में आर्थिक वंचना और गरीबी का एक प्रमुख कारण है। सुरक्षित भूमि अधिकार उनके सामाजिक-आर्थिक विकास की पूर्व-शर्त हैं।

3. GS-IV: नैतिकता, अखंडता और अभिरुचि

- **विषय:** नैतिकता और मानव इंटरफेस: मानवीय क्रियाओं में नैतिकता का सार, निर्धारक और परिणाम।
 - **उपयोग:** सांस्कृतिक सापेक्षवाद (आदिवासी प्रथाओं का सम्मान) और सार्वभौमिकतावाद (लैंगिक समानता के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अनुप्रयोग) के बीच नैतिक दुविधा की जाँच।
 - **तर्क:** क्या यह नैतिक है कि महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाली प्रथाओं को संस्कृति के नाम पर जारी रखा जाए? यह लेख एक ठोस आधार देता है यह तर्क करने के लिए कि प्रथाओं को समानता और न्याय की नैतिक कसौटी पर परखा जाना चाहिए।
- **विषय:** सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और आधारभूत मूल्य।

- **उपयोग:** ऐसे परिदृश्य में एक सिविल सेवक की भूमिका पर चर्चा।
- **तर्क:** यदि आप किसी आदिवासी क्षेत्र में ज़िला मजिस्ट्रेट हों, तो आप इस संघर्ष को कैसे संभालेंगे? उत्तर में सहानुभूति दिखाना, संवैधानिक नैतिकता को भेदभावपूर्ण प्रथाओं से ऊपर रखना और जागरूकता एवं कानूनी माध्यमों के ज़रिए परिवर्तन के सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना शामिल होगा।

3. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को धोखाधड़ी वाली सामग्री को सक्रिय रूप से हटाना चाहिए

1. मूल समस्या: परिष्कृत ऑनलाइन घोटालों का उदय

ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी की एक नई लहर कई कमजोरियों का फायदा उठा रही है:

- **तरीका:** सार्वजनिक हस्तियों (जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण) की एआई-जनित डीपफेक वीडियो का उपयोग कर नकली योजनाओं का समर्थन करना।
- **चैनल:** इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन।
- **लक्ष्य:** आबादी के एक बड़े हिस्से की सीमित तकनीकी और वित्तीय साक्षरता का फायदा उठाना।
- **प्रलोभन:** तेज मुनाफे का वादा और मुनाफे के जालसाजी वाले सबूत पेश करना।

2. योगदान कारक और चुनौतियाँ

- **विनियामक खाई:** क्रिप्टोकॉर्सेसी प्लेटफॉर्म और इसी तरह की योजनाएं अक्सर एक विनियामक ग्रे क्षेत्र में काम करती हैं, जिन्हें पारंपरिक प्रतिभूतियों जैसी स्पष्टता के साथ वर्गीकृत नहीं किया गया है।
- **अधिकार क्षेत्र के मुद्दे:** कई धोखाधड़ी वाले प्लेटफॉर्म विदेश में होस्ट किए जाते हैं और जटिल, गुमनाम लेनदेन शृंखलाओं (जैसे क्रिप्टो वॉलेट) का उपयोग करते हैं, जिससे राष्ट्रीय पुलिस इकाइयों के लिए उनका पीछा करना मुश्किल हो जाता है।
- **कम जन जागरूकता:** जागरूकता अभियान असमान और अक्सर बहुत सामान्य होते हैं। कई उपयोगकर्ता ऑनलाइन हेराफेरी की पहचान नहीं कर सकते हैं, और शिकायतें आमतौर पर तभी दर्ज की जाती हैं जब पीड़ित धन निकालने की कोशिश करते हैं और विफल होते हैं।
- **घोटालों की परिष्कृति:** डीपफेक के उपयोग से घोटाले बहुत विश्वसनीय लगते हैं।

3. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिक्रिया की आलोचना

इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म इन घोटालों के मुख्य चैनल हैं लेकिन निष्क्रिय रूप से जवाब देते हैं:

- **प्रतिक्रियाशील, सक्रिय नहीं:** नीतियाँ धोखाधड़ी वाली सामग्री का सक्रिय पता लगाने और हटाने के बजाय उपयोगकर्ता आत्म-सुरक्षा और रिपोर्टिंग तंत्र पर जोर देती हैं।
- **धीमी हटाने की प्रक्रिया:** हटाने के अनुरोधों को संसाधित करने से पहले धोखाधड़ी वाली सामग्री पीड़ितों को फंसाने के लिए काफी लंबे समय तक सुलभ रहती है।

- **मॉडरेशन चुनौतियाँ:** सामग्री की विशाल मात्रा मैन्युअल समीक्षा को असंभव बना देती है, जबकि स्वचालित सिस्टम अभी भी परिष्कृत डीपफेक का पता लगाने में सीमित हैं।
- **प्रोत्साहन संरचना:** निजी संस्थाओं के रूप में जो उपयोगकर्ता संलग्नता से लाभ कमाती हैं, प्लेटफॉर्म के पास अपलोड की intrusive निगरानी से बचने का प्रोत्साहन होता है।

4. प्रस्तावित समाधान

लेख का तर्क है कि बहु-प्रासंगिक दृष्टिकोण आवश्यक है:

1. सरकारी विनियमन:

- निवेश प्लेटफॉर्म के लिए पंजीकरण और खुलासे के लिए स्पष्ट मानकों को परिभाषित करें।
- धोखाधड़ी करने वालों के लिए ऑपरेटिंग स्पेस को सीमित करने के लिए क्रॉस-बॉर्डर सहयोग बढ़ाएँ।

2. साक्षरता पर सार्वजनिक नीति:

- तकनीकी और वित्तीय साक्षरता को सार्वजनिक नीति प्राथमिकता के रूप में मानें।
- जागरूकता के प्रयासों को निरंतर बनाएं और उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में एकीकृत करें, आवधिक पुलिस अभियानों से आगे बढ़ें।

3. प्लेटफॉर्म जवाबदेही:

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने वर्तमान प्रतिक्रियाशील रुख से आगे बढ़कर, धोखाधड़ी वाली सामग्री की सक्रिय रूप से पहचान करने और हटाने की आवश्यकता हो।

5. निष्कर्ष और चेतावनी

इन समन्वित उपायों के बिना, ये परिष्कृत ऑनलाइन घोटाले समाज के लिए भारी मानवीय और भौतिक लागत वहन करते रहेंगे।

प्राथमिक जीएस पेपर लिंकेज

1. जीएस-III: प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन

यह सबसे सीधा फिट है।

- **विषय:** संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियाँ, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका।
 - **उपयोग मामला:** इस लेख का प्रयोग एक गैर-पारंपरिक आंतरिक सुरक्षा खतरे के उदाहरण के रूप में किया जा सकता है। ये धोखाधड़ी नागरिकों को भारी आर्थिक नुकसान पहुँचाती हैं, संस्थाओं पर विश्वास को कमजोर करती हैं (जैसे जब मंत्रियों के डीपफेक्स उपयोग होते हैं), और परिवारों की वित्तीय स्थिरता को अस्थिर कर सकती हैं।

- **तर्क:** यह केस दिखाता है कि कैसे प्रौद्योगिकी (सोशल मीडिया, एआई, क्रिप्टो) को विदेशों से संचालित गैर-राज्य तत्व हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यह पारंपरिक पुलिसिंग से निपटने योग्य चुनौती नहीं है और इसके लिए साइबर-सुरक्षा व वित्तीय सुरक्षा का नया ढांचा जरूरी है।
- **विषय:** साइबर सुरक्षा की मूल बातें; मनी-लॉन्ड्रिंग और उसकी रोकथाम।
 - **उपयोग मामला:** साइबर अपराध की कार्यप्रणाली और रोकथाम की चुनौतियों पर चर्चा।
 - **तर्क:** क्रिप्टोकॉरेसी वॉलेट और विदेशी होस्टिंग का उपयोग साइबर धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है। लेख का प्रयोग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के लिए सख्त केवाईसी मानदंड और डिजिटल लेनदेन को ट्रैक करने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को साबित करने के लिए किया जा सकता है।
- **विषय:** आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जागरूकता।
 - **उपयोग मामला:** प्रौद्योगिकी के डुअल-यूज नेचर को दिखाना — नवाचार के लिए एआई बनाम अपराध के लिए एआई (डीपफेक)।
 - **तर्क:** यह घोटाला इस बात का परिणाम है कि प्रौद्योगिकी तेजी से आगे बढ़ रही है लेकिन जन-जागरूकता उसके साथ नहीं चल रही। यह शिक्षा नीति में डिजिटल साक्षरता को एक महत्वपूर्ण घटक बनाने की आवश्यकता को मजबूत करता है।

2. जीएस-II: शासन, संविधान, राजनीति

- **विषय:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनके डिज़ाइन व क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।
 - **उपयोग मामला:** क्रिप्टोकॉरेसी और सोशल मीडिया जैसी नई तकनीकों के लिए मौजूदा नियामक ढांचे की आलोचना।
 - **तर्क:** लेख में वर्णित "नियामकीय ग्रे एरिया" धीमी और अस्पष्ट नीतिगत निर्माण का परिणाम है। यहाँ आप तर्क दे सकते हैं कि क्रिप्टोकॉरेसी के लिए मजबूत और स्पष्ट नियामक ढांचे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए परिभाषित जवाबदेही तंत्र (जैसे Intermediary Guidelines) की तत्काल आवश्यकता है।
- **विषय:** शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता और जवाबदेही।
 - **उपयोग मामला:** शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निजी टेक कंपनियों को नियंत्रित करने की शासन-चुनौती पर चर्चा।
 - **तर्क:** प्लेटफॉर्म की "प्रोत्साहन संरचना" लाभ को उपयोगकर्ता सुरक्षा से अधिक प्राथमिकता देती है। यह डिजिटल सार्वजनिक स्थानों के शासन और उन गैर-राज्य संस्थाओं को उनकी सामग्री के लिए कैसे जवाबदेह ठहराया जाए, इस पर गंभीर प्रश्न उठाती है।